कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक: 3315 / वाद सं0–सी –0487 / एस–डोईवाला / 2026 दिनांक– 04/11/26

श्री धीरज कश्यप पुत्र विजय कश्यप
स्थल डैसवाला डोईवाला देहरादून

विपक्षी श्री धीरज कश्यप पुत्र विजय कश्यप स्थल डैसवाला डोईवाला देहरादून द्वारा प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये स्थल पर आपके द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये भूतल पर लगभग 20 गुणा 20 फिट के क्षेत्रफल में दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दिनांक 07.09.2026 को उत्तराखण्ड नगर एंव ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओं एवं कार्य रोको नोटिस निर्गत करते हुये वाद संख्या वाद सं0 सी–0487 / एस–डोईवाला / 2026 योजित किया गया था। सुनवाई हेतु दिनांक 23.09.2026 की तिथि नियत की गई थी, जिसमें आप उपस्थित रहे। पुनः विभिन्न तिथियां नियत की गयी जिसमें आप उपस्थित हुये जवाब दाखिल किये गये वाद निस्तारण में कोई रूची नहीं ले रहे है, अतिथि तक कोई शमन मानचित्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवरणानुसार सुनवाई के अवसर प्रदान करने व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन करने धारा 28 क(1) के प्राविधानों के अनुसार आपके द्वारा स्थल पर किये गये समस्त अवैध निर्माण / विकास कार्य के विरूद्व सीलिंग आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत है। अत एव निम्न आदेश पारित किया जाते हैः–

आदेश

विपक्षी श्री धीरज कश्यप पुत्र विजय कश्यप निवासी डैसवाला डोईवाला देहरादून द्वारा प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये स्थल पर आपके द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये भूतल पर लगभग 20 गुणा 20 फिट के क्षेत्रफल में दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दिनांक 07.09.2026 को उत्तराखण्ड नगर एंव ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धाराओं उल्लंघन किये जाने के कारण सील करने के आदेश पारित किये जाते है। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा समस्त अवैध निर्माण को दिनांक 6/11/26 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दे तथा स्थल पर उपस्थित होकर सील की कार्यवाही निस्पादित कराये। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि स्थल पर लगाई गई सील को न तो क्षतिग्रस्त करे न होने दें क्योंकि उक्त कृतय शासकीय कार्य में बाधा डालना एवे सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाये।

पीठासीन अधिकारी / सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1:–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध से प्रेषित की थानाध्यक्ष डोईवाला को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे।

2:–नायब तहसीलदार डोईवाला को अपर जिला मस्ट्रिेट (प्र0) देहरादून के पत्र संख्या 1205 / विविध–जे0ए0 / 2024 दिनांक 17.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिगं की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3:–थानाध्यक्ष डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि पर प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल) सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

4:–सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता / नोटिस प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को स्थल पर उपस्थित होकर सील की कार्यवाही सम्पन्न करना सुनिश्चित करें ।

5:–नाजिर ,एम0डी0डी0ए0 देहरादून को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि को एक वाहन सील सम्बन्धी सामग्री सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6– आई.टी. अनुभाग को सूचनार्थ।

पीठासीन अधिकारी / सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।